न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
142 / 21	28.09.2021	24.01.2022

उनवान

1. हमीद खां पुत्र हुसैना जाति मेव निवासी पडासला तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थिति :–

1. लेखराम वकील वादी की और से ।
2- प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार ।

–: निर्णय :–

वकील वादी की और से प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:– वकील वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 310/0.23, 311/0.27, 164/0.09, 166/0.32, 171/0.16, 172/0.18, 191/0.29, 201/0.08, 299/0.33, 366/0.05, 368/0.11, 373/0.22, 374/0.22, 378/0.09, 393/0.23, 394/0.22, 395/0.23, 396/0.23, 397/0.24, 398/0.15, 399/0.15, 300/0.29 कुल किता 22 रकबा 4.38 हे. का 1/7 भाग वाके ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास विवादित आराजी है जिसके हाल के साबिक नम्बर निम्न प्रकार पैमूद हुए है।

हाल	साबिक	हाल	साबिक
310/0–18	127मि0/0–14	311/1–01	127मि0/1–00
	128मि0/0–04		128मि0/0–01
164/0–07	59/0–07	166/1–10	58मि0/1–10
171/0–13	60मि0/0–13	172/0–04	60मि./0–04
191/1–03	77मि./1–03	201/0–06	78मि./0–06
299/1–06	113मि./1–06	366/0–04	135मि./0–04
368/0–09	135मि./0–09	373/0–17	145मि./0–17
374/0–17	145मि./0–17	378/0–07	137मि./0–07
393/0–18	145मि./0–17	394/0–17	145मि./0–17
	144मि./0–01		
395/0–18	144मि./0–18	396/0–18	144मि./0–18
397/0–19	144मि./0–19	398/0–12	144मि./0–12
399/0–12	146मि./0–12	300/1–02	113मि./1–00
			114मि./0–03

उक्त आराजी का 1/7 भाग पप्पूराम पुत्र तोताराम , सूरपाल पुत्र तोताराम, सतपाल पुत्र तोताराम, मीराबाई पुत्री तोताराम , हन्साबाई पुत्री तोताराम , फूलवती पतिन तोताराम जाति कुम्हार निवासी पडासला हाल थानाघोडा तहसील किशगनढबास

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

की गैर खातेदारी मे दर्ज हो रहा है जिन्होने अपनी गेर खातेदारी का 1/7 हिस्सा मिन वादी को जरिये इकरारनामा दिनांक 15.06.20 को समस्त विक्रय राशि प्राप्त करके मौके पर कब्जा सौप दिया ।तब से वादी मौके पर वादी काबिज काश्त है।

साबिक नकल जमाबन्दी सम्वत 2013 के खताा सख्या 204 पर साबिक नम्बरान के बाबत कालम न. 5 साहबराम पुत्र छीतर , तेजा पुत्र मूलिया, पोला पुत्र गोपाल , मंगला पुत्र नत्थू , लीला पुत्र कालू , तोता पुत्र हीरा, उमराव पुत्र नत्थू कुम्हारान सा. थानाघोडा पटटेदार साल 11 दर्ज हो रहा है नकल जमाबनदी सम्वत 2015 के खाता सख्या 126 पर टुन्डल पुत्र जस्सू मेव सा. देह गैर मोरूसी साल 56 , साहबराम पुत्र छीतर , तेजा पुत्र मूलिया, पीला पुत्र गोपाल , मंगला पुत्र नत्थू कुम्हारान सा. थानाघोडा दर्ज हो रहा है जिससे साबित है कि उक्त आराजी विक्रेतागणो के बुजुर्ग तोताराम की पटटेदारी की व गैर मोरूसी मे दर्ज हो रही है जिसे भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा गैर खातेदारी मे दर्ज किया गया है तथा आज भी गैर खातेदारी मे ही दर्ज हो रही है।

उक्त आराजी का 1/7 हिस्सा मिन वादी द्वारा जरिये इकरारनामा खरीद किया गया है। इसलिए विक्रेतागणो का अब आराजी उक्त मे बाद बेचान कोई हक हकूक शेष नही रहे है इसलिए उन्हे वाद मे पक्षकार नही बनाया गया है। तहसीलदार किशनगढबास को ही आवश्यक पक्षकार बनाया गया है जो आवश्यक कानूनी पक्षकार है। मिन वादी राज्य सरकार के परिपत्र 30.3.2012 के बिन्दु सख्या 3 व 5 के अनुसार अपना कब्जा घोषित कराया जाकर नियमानुसार कीमत भूमि जमा कोष करा कर सनद खातेदारी पटटा प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः—

1. डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर से पारित की जावे कि वादी आराजी खसरा नम्बर 310/0.23, 311/0.27, 164/0.09, 166/0.32, 171/0.16, 172/0.18, 191/0.29, 201/0.08, 299/0.33, 366/0.05, 368/0.11, 373/0.22, 374/0.22, 378/0.09, 393/0.23, 394/0.22, 395/0.23, 396/0.23, 397/0.24, 398/0.15, 399/0.15, 300/0.29 कुल किता 22 रकबा 4.38 हे. का 1/7 भाग वाके ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास वादी जर्ये इकरारनामा खरीददार काबिज काश्त है वादी का कब्जा घोषित किया जावे ।
2. डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की पारित की जावे की हाल जमाबन्दी के 1/7 भाग पर विक्रेताओ के नाम का जो अंकन बतौर गैर खातेदार हो रहा है उसे हजफ किया जावे। वादी से नियमानुसार कीमत भूमि ली जाकर सनद खातेदारी जारी की जावे। तथा वादी को खातदेार दर्ज किया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार है वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादी को डिक्री किये जाने की इश्तदुआ की। तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा करा सनद खातेदारी वादी के पक्ष मे जारी करने निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया। तथ पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। हाल से साबिक खसरा नम्बरान निम्न प्रकार से पैमद हुए है :—

साबिक	हाल	साबिक	हाल
310/0—18	127मि0/0—14	311/1—01	127मि0/1—00
	128मि0/0—04		128मि0/0—01
164/0—07	59/0—07	166/1—10	58मि0/1—10
171/0—13	60मि0/0—13	172/0—04	60मि./0—04
191/1—03	77मि./1—03	201/0—06	78मि./0—06
299/1—06	113मि./1—06	366/0—04	135मि./0—04

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

368/0–09	135मि./0–09	373/0–17	145मि./0–17
374/0–17	145मि./0–17	378/0–07	137मि./0–07
393/0–18	145मि./0–17 144मि./0–01	394/0–17	145मि./0–17
395/0–18	144मि./0–18	396/0–18	144मि./0–18
397/0–19	144मि./0–19	398/0–12	144मि./0–12
399/0–12	146मि./0–12	300/1–02	113मि./1–00 114मि./0–03

सबिक जमाबन्दी सम्वत 2013 के खाता सख्या 204 मे साहबराम पुत्र छीतर तेजा पुत्र मूलिया, पीला पुत्र गोपाल, मंगला पुत्र नत्थू लीला पुत्र कालू तोता पुत्र हीरा , उमराव पुत्र नत्थू कुम्हारान सा. थानाघोडा पटटेदार साल 11 कुल किता खसरा 19 रकबा 22 बीघा 07 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी कदर साबिक जमाबन्दी सम्वत 2015 के खाता सख्या 15 एवं 126 मे राजस्व रिकार्ड मे गैर खातेदारान के पिता तोता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी कदर जमाबन्दी सम्वत 2029 भू. प्रबन्ध के खाता मे पटटेदार गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। हाल राजस्व रिकार्ड के दर्ज गैर खातेदारान द्वारा जर्ये इकरारनामा 15.06.2020 के द्वारा वादी हमीद पुत्र हुसैना जाति मेव निवासी पडासला तहसील किशनगढबास को विक्रेय किया है तथा तहसीलदार किशनगढबास के पत्र कमाक/राजस्व/19 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार उक्त आराजी किता 22 रकबा 4.38 हे. मे से 1/7 हिस्सा पर वादी का कब्जा काश्त है जिससे यह साबित होता है राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारान द्वारा अपना1/7 हिस्सा जर्ये इकरारनामा वादी को विक्रेय किया है मौके पर कब्जा काश्त है प्रकरण अवैध हस्तानान्तरण श्रेणी है इसलिए वर्तमान मे प्रभावित राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर हकूक खातेदारी जर्ये सनद प्रदत्त किया जाना उचित एवं न्यायंसगत समझते है वाद वादी काबिले डिक्री करार पाता है न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है। वाद वादी काबिले डिक्री करार पाता है।

अतः आदेश है:–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 310/0.23, 311/0.27, 164/0.09, 166/0.32, 171/0.16, 172/0.18, 191/0.29, 201/0.08, 299/0.33, 366/0.05, 368/0.11, 373/0.22, 374/0.22, 378/0.09, 393/0.23, 394/0.22, 395/0.23, 396/0.23, 397/0.24, 398/0.15, 399/0.15, 300/0.29 कुल किता 22 रकबा 4.38 हे. का 1/7 भाग वाके ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है । वादी आराजी उक्त की राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर सनद खातेदारी जारी हो। राशि जर्ये चालान जमा हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदार पप्पूराम पुत्र तोता , फूलवती पत्नि तोता , मीराबाई पुत्री तोता , सतपाल पुत्र तोता सूरजपाल पुत्र तोता , हन्साबाई पुत्री तोता समस्त हिस्सा 1/7 पर दर्ज गैर खातेदारान के नाम को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाकर मुताबिक सनद खातेदारी वादी के नाम अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो। खर्चा वादी स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
142 / 21	28.09.2021	24.01.2022

पर्चाडिक्री

उनवान

1. हमीद खां पुत्र हुसैना जाति मेव निवासी पडासला तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थिति :–

1. लेखराम वकील वादी की और से ।
2- प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार ।

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 310 / 0.23, 311 / 0.27, 164 / 0.09, 166 / 0.32, 171 / 0.16, 172 / 0.18, 191 / 0.29, 201 / 0.08, 299 / 0.33, 366 / 0.05, 368 / 0.11, 373 / 0.22, 374 / 0.22, 378 / 0.09, 393 / 0.23, 394 / 0.22, 395 / 0.23, 396 / 0.23, 397 / 0.24, 398 / 0.15, 399 / 0.15, 300 / 0.29 कुल किता 22 रकबा 4.38 हे. का 1 / 7 भाग वाके ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है । वादी आराजी उक्त की राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर सनद खातेदारी जारी हो। राशि जर्ये चालान जमा हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदार पप्पूराम पुत्र तोता , फूलवती पत्नि तोता , मीराबाई पुत्री तोता , सतपाल पुत्र तोता सूरजपाल पुत्र तोता , हन्साबाई पुत्री तोता समस्त हिस्सा 1 / 7 पर दर्ज गैर खातेदारान के नाम को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाकर मुताबिक सनद खातेदारी वादी के नाम अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

प्रारूप सख्या 6
(देखिये नियम 15(3))
सनद का प्रारूप

चूकी राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे निर्णित शर्तो एवं राजस्थान निष्क्रान्त कृषि भूमि का अस्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 6.10.2009 एवं संशोधित परिपत्र 30.3.2012 के अधीन /नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1. आवंटन/ नियमन का दिनांक व स्थान	जर्ये वाद हमीदखां बनाम सरकार मु.न. 142/21 निर्णय दिनांक 24.01.2022
2. खातेदार का नाम व पूर्ण पता	हमीदखां पुत्र हुसैना जाति मेव निवासी पडासला तहसील किशनगढबास जिला अलवर
3. तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4. राजस्व ग्राम जंहा भूमि स्थित है।	ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास
5. भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	खाता सख्या 303 सम्वत 2075–2078 मे दर्ज कुल खसरा खसरा 17 रकबा 3.12 हे. एव खसरा नम्बर 396/0.23 हे., 397/0.24 हे., 300/0.29 हे., 311/0.27 हे., 310/0.23हे.कुल किता खसरा 22 रकबा 4.38 हे. मे से 1/7 हिस्सा यानि कुल रकबा 0.6257 हे. वाके ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास किस्म खातानुसार
6. लगान दर	खातानुसार
7. राशि जमा होने का चालान नम्बर मय दिनांक	जी.आर.एन. 57914654 से राशि 10011 रू. (दस हजार ग्यारहे रूपये मात्र)मद 0075 जी.आर.एन. 57914842 से राशि 5006 रू. (पांच हजार छः रूपये मात्र)मद 0049

नोटः– यह सनद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त खसरा नम्बरान के गैर खातेदारान पप्पूराम पुत्र तोता, फुलवती पत्नि तोता, मीराबाई पुत्री तोता, सतपाल पुत्र तोता, सुरजपाल पुत्र तोता, हन्साबाई पुत्री तोता समस्त के 1/7 अंकन पर जारी किया गया। तथा उक्त खसरा नम्बरान का शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा।

ओप्रकाश सहारण
उपखण्डअधिकारी
किशनगढबास
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

कमाक/सम/2022/1597-1600

दिनांक 31-01-22

प्रतिलिपिः–

1. .तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी का सनद के अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही करे।
2. पटवारी हल्का को प्रेषित कर लेख है मुताबिक सनद नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे।
3. प्रार्थी हमीदखां पुत्र हुसैना जाति मेव निवासी पडासला तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.
4. रक्षित पत्रावली।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)